

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 4(402)आयो/आकाशि/संबं/11-12/809

दिनांक- 15/5/2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय :-महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय की विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वे राजकीय महाविद्यालय जिन्होंने आदिनांक तक संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त नहीं की गई, साथ जिन महाविद्यालय में नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ किया गया है, जिनकी संबद्धता संबंधी कार्यवाही आदिनांक तक शेष है। ऐसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की कार्यवाही पूर्ण करें तथा की गई कार्यवाही की सूचना आयोजना शाखा की ईमेल आई.डी. [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य को सम्पन्न करवावे।



प्रदीप कुमार बोरड़, IAS

आयुक्त कॉलेज शिक्षा,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ 4(402)आयो/आकाशि/संबं/11-12/810-812

दिनांक- 15/5/2020

क्रमांक: प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर/राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर/गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को भेज कर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए आपके विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित राजकीय महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित नवीन विषय/नवीन संकायों की सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करे।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



आयुक्त कॉलेज शिक्षा